



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./ई-मेल



सं- CHG/KNK/Fe-250/RPR

खान कोड- 30CHG08011

दिनांक:-14.07.2023

प्रेषिति-

श्री परेश शाह, नामित खान मालिक एवं एजेंट,  
सर्वश्री जे. एस. डबल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड,  
गाँव- कुरुड, चंदखुरी मार्ग, मंदिर हसौद, रायपुर,  
छत्तीसगढ़- 492101  
ईमेल- [jswispatraipur@aionjsw.in](mailto:jswispatraipur@aionjsw.in), [rana@aionjsw.in](mailto:rana@aionjsw.in)

श्री अमर कुमार चौधरी, खान प्रबंधक,  
हाहालदी लौह अयस्क खान,  
सर्वश्री जे. एस. डबल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स  
लिमिटेड, गाँव- हाहालदी, तहसील-दुर्गुकोदल,  
जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़  
ईमेल- [rana@aionjsw.in](mailto:rana@aionjsw.in)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपके हाहालदी लौह अयस्क खान 78.90 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 (MCDR, 2017 as amended) के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 08.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अमर कुमार चौधरी, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, Mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Modification of Review of Mining Plan (MRMP) approved dated: 12.08.2022 to the extent indicated below :-</p> <p>In MRMP, waste dumping was proposed to be carried out at earmarked place in South-West part of the mining lease area. Whereas during inspection, waste material (fines below 45% Fe) observed dumped/stacked at non-proposed area near to crushing &amp; screening plant in South East part of the lease area. Further, environmental protection measures i.e. retaining wall, garland drain, settling tank etc. also observed not constructed around the aforesaid waste/fines stacks as envisaged.</p> <p>Hence, above are observed to be against the systematic &amp; scientific development of the mine and also against the protection of environment in the mine.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से **45** दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो